कृपया प्राथमिकता

संख्या-34/2017/3091/86-2017-132/2016

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 20 नवम्बर, 2017

विषयः-जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास, 2017 से सम्बन्धित कार्य योजना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-9'ख' की उपधारा-(3) और धारा-15 एवं 15क द्वारा जिला खनिज फाउन्डेशन न्यासों की संरचना एवं उनके कृत्यों का विनियमन करने और खनन क्रिया कलापों के प्रभावित क्षेत्रों में विकास सम्बन्धित क्रियाकलाप सम्पादित करने की रीति को विहित करने के प्राविधान सम्मलित किया गया है। अधिनियम, 1957 कि उक्त धारा में प्रदत्त उक्त शक्तियों का प्रयोग कर उ0प्र0 शासन द्वारा अधिसूचना संख्या-866/86-2017-132/2017, दिनांक 15.05.2017 द्वारा उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गयी है।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने-अपने जनपद में गठित जिला खनिज न्यास से संबंधित प्रबन्ध समिति एवं शासी परिषद् की संस्तुति के आधार पर जिले में खनन संक्रिया प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के कल्याण व विकास से सम्बन्धित न्यास की निधि में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष-2017-18 में दिनांक 31.03.2018 तक सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यो के संबंध में नियमावली, 2017 की अपेक्षानुसार प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजना आदि को भी आच्छादित करते हुये कार्य योजना तत्काल तैयार कर प्रश्नगत कार्य योजना की प्रति दिनांक 30.11.2017 तक शासन को उपलब्ध कराने के साथ ही प्रत्येक माह की 10 तारीख तक कार्य योजना के क्रियान्वयन की प्रगति आख्या, धनराशि के उपलब्धता एवं उपयोग की स्थिति सहित संलग्न प्रारूप पर विवरण भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को भेजा जाना भी सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

राज प्रताप सिंह
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः 3091(1)/86-2017, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रभावी अनुश्रवण हेतु।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, उ0प्र0।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 बलकार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।